

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

| | | |
|---|--|--------------|
| दुन्नी सिंह रावत पुत्र अमर सिंह निवासी- मावला, तहसील बदनोर, जिला भीलवाड़ा | सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी बदनारे, तहसील बदनोर वगैरा | —रेस्पोजेण्ट |
| — अपीलार्थी | | |

प्रकरण संख्या 17 / 2022 प्रार्थना पत्र

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रकरण दर्ज रजिस्टर करे। विपक्षी को नोटिस जारी करे। अधीनस्थ
न्यायालय से रिकोर्ड तलब करे। प्रकरण आगामी सुनवाई हेतु दिनांक
25.05.2022 को पेश हो।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष उपस्थित
पीठारीन अधिकारी जी इन्द्र अर्य प्रो.प्ल
है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के
लिए दिनांक 18.07.22 को पेश हो।

रीडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा शीघ्र सुनवाई का
एक प्र.पत्र येश किन्ने जाने से पत्रावली आज सिगाटसे
तलब की गयी। उभयपक्ष अधिकारिता एकेस्थित जिनके
द्वारा एक प्र.पत्र बाबत राजीनामा का येश कर निवेदन
किया गया कि उभयपक्षों के बीच आयसी समझौदा
से राजीनामा हो गया है, जिसकी नकल प्रस्तुत की है।
अब कोई विवाद शेष नहीं रहने से उक्त प्रकरण से
आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अतः न्यायहित से
प्रकरण ड्रॉप किया जावे।

अतएव उभयपक्षकारान के बीच आयसी
राजीनामा हो जाने एवं इस प्रकरण से आगे कोई कार्यवाही
नहीं चाहने का प्र.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्र.पत्र
अंतगति द्वारा उ(न) 5 NMAI, 1956 की कार्यवाही इसी स्तर
पर ड्रॉप की जाती है। प्रकरण नंबर से कम हो।

जिला कलक्टर

(आर्द्रिटर)
भीलवाड़ा

01.06.2022

25.05.22